

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

प्रार्थी :- होमाराम पुत्र सुखाराम --बनाम:-  
किस्म मुकदमा :- राजस्व वाद,

अप्रार्थी :- तहसीलदार  
नम्बर :- 118 / 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हक हुक्म की तामील में जारी हुए
13.06.23	<p>प्रार्थी उपस्थित।</p> <p>राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशासन गांवो के संग अभियान बैड़कलां में पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी ने प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 RT Act. के तहत पेश किया। वादी का दावा दर्ज रजिस्टर्ड हो। प्रार्थी ने निवेदन किया कि मौजा-रानीवाल में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 307, 308, 323, 309 में प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि हैं। जिसमें प्रार्थी का नाम सोमाराम पुत्र सुखा, शोभाराम पुत्र सुकाराम दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात में होमाराम पुत्र सुखाराम हैं, प्रार्थी ने अपना नाम सोमाराम पुत्र सुखा, शोभाराम पुत्र सुकाराम के स्थान पर होमाराम पुत्र सुखाराम शुद्ध किये जाने का निवेदन किया है।</p> <p>प्रशासन गांवो के संग अभियान बैड़कला में मजमा-ए-आम में जानकारी प्राप्त की गई। पटवारी हल्का, भू. अ. निरीक्षक बैड़कलां व तहसीलदार जैतारण ने जांच कर, प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें खाता संख्या 250, 165 संयुक्त खातेदारी की भूमि आयी हुई हैं। जिसमें प्रार्थी का नाम सोमाराम पुत्र सुखा, शोभाराम पुत्र सुकाराम दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात में होमाराम पुत्र सुखाराम दर्ज हैं, प्रार्थी का नाम सोमाराम पुत्र सुखा, शोभाराम पुत्र सुकाराम के स्थान पर होमाराम पुत्र सुखाराम शुद्ध किये जाने की अभिशंषा की है।</p> <p>अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता है। पटवारी हल्का, भू. अ. निरीक्षक बैड़कलां व तहसीलदार जैतारण की अभिशंषा के आधार पर मौजा-रानीवाल बैड़कला पटवार हल्का बैड़कला में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 250, 164 में प्रार्थी के नाम की त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध प्रविष्टि सोमाराम पुत्र सुखा, शोभाराम पुत्र सुकाराम को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर खातेदार का सही एवं वास्तविक नाम " होमाराम पुत्र सुखाराम " दर्ज करते हुये तहसीलदार जैतारण को इसी अनुरूप भू-अभिलेख अद्यतन किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है, अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। आदेशिका की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ला पत्रावली खिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।</p>	

(श्यामसुन्दर बिश्नोई)  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर जैतारण (पाली)